रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082025-265560
CG-DL-E-20082025-265560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947
No. 578] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

फा. सं. एचक्यू-13073/1/2020-ऑथ.II-एचक्यू भाग(1)/कंप्यूटर नंबर 12972(ई).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्द्वारा आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) विनियम, 2023 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों में, विनियम 3 में, निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, नामत:—

2.1 विनियम 3 के उप-विनियम 2 के पश्चात् उप-विनियम **2क** को शामिल करें—

जहां पूर्व में प्रस्तुत किए गए किसी आधार नंबर, ऐसे आधार नंबर के लोप या निष्क्रियण या ऐसे निष्क्रिय किए गए आधार नंबर के पुनः सक्रिय किए जाने पर, का तत्पश्चात् लोप या निष्क्रियण या पुनः सक्रिय होना हुआ है, के संबंध में अद्यतीकरण की स्थिति सहित अधिप्रमाणन करने के लिए अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा प्राधिकरण के साथ कोई समझौता ज्ञापन या करार किया गया है, आधार नंबर का अधिप्रमाणन करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसे अद्यतीकरण के रूप में किसी प्रतिक्रिया के लिए, ऐसे प्रत्येक अद्यतीकरण के लिए अनुरोधकर्ता संस्था को उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस प्रभार्य होगीः

*परन्तु यह कि **ऐसी कोई फीस नहीं ली जाएगी, जहां अनुरोधकर्ता संस्था प्राधिकरण को ऐसी सूचना प्रदान करती है जो आधार नंबर के निष्क्रियण के लिए प्रासंगिक है।***

परन्तु और यह कि, जहां ऐसा अद्यतीकरण सीआईडीआर में आधार नंबर धारकों की सूचना के अनुरक्षण करने, सीआईडीआर में सतत शुद्धता के लिए, उनके वर्तमान ब्यौरों को अद्यतीकृत करने, आधार नंबरों की सूचना का प्रसंस्करण करने और सीआईडीआर में जांच करने सहित, प्राधिकरण के कृत्यों के निष्पादन और शक्तियों के प्रयोग के हितों में हो, प्राधिकरण, आदेश द्वारा, ऐसी फीस को ऐसी सीमा तक अधित्यजित कर सकेगा जैसी कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

2.2 विनियम 3 के उप-विनियम 3 को इस प्रकार पढ़ा जाए—

उप-विनियमों (1), (2) और (2क) .... में विनिर्दिष्ट फीस।

2.3 उप-विनियम 4 का लोप किया गया।

2.4 उप-विनियम 5 का लोप किया गया।

संजीव यादव, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./311/2025-26]

नोट : मूल विनियम भारत का राजपत्र, भाग III, खंड 4, दिनांक 29 सितंबर, 2023 (3 अक्तूबर, 2023 को प्रकाशित) की अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-ऑथ.II.एचक्यू(ई) के द्वारा प्रकाशित किए गए और उसके पश्चात् संशोधित विनियम दिनांक 31 जनवरी 2024 की अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-ऑथ.II.एचक्यू(ई) द्वारा अधिसूचित किए गए।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2025

F. No. HQ-13073/1/2020-AUTH.II Part (1)/Comp. No. 12972(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Aadhaar (Payment of Fees for Performance of Authentication) Regulations, 2023, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Aadhaar (Payment of Fees for Performance of Authentication) Amendment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the principal regulations, in regulation 3, the following shall be amended, namely—

2.1 add sub-regulation **2A** of after sub-regulation 2 of regulation 3 as –

Where a requesting entity has entered into a Memorandum of Understanding or agreement with the Authority for performing authentication with update regarding the status as to whether any Aadhaar number previously submitted has been subsequently omitted or deactivated or re-activated, for any response subsequently made by the Authority by way of such update in respect of performance of authentication of Aadhaar numbers, ***a fee as specified in sub regulation (2)*** *shall be chargeable to such requesting entity* ***for every such update:***

Provided that ***no such fee shall be charged, where the requesting entity provides such information to the Authority which is relevant for deactivation of Aadhaar numbers.***

Provided further that the Authority may, where such update is in the interests of performance of its functions and exercise of its powers, including the maintenance of information of Aadhaar number holders in CIDR, updating of their current details for continued accuracy in CIDR, processing of information of Aadhaar numbers and inquiry into CIDR, by order, waive such fee, to such extent as such order may specify".

2.2 sub-regulation 3 of regulation 3 may be read as –

The fee specified in sub-regulations (1), (2) and (2A) ………………

2.3 sub-regulation 4 omitted.

2.4 sub-regulation 5 omitted.

SANJEEV YADAV, Director

[ADVT.-III/4/Exty./311/2025-26]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, *vide* Notification F. No. HQ 13073/1/2020-AUTH.II-HQ(E), dated the 29th September, 2023 (published on the 3rd October, 2023) and further amendment regulations were notified *vide* F. No. HQ-13073/1/2020-AUTH.II(E) dated 31st January 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.08.20 22:08:11 +05'30'